न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील / 132 / 2022

अपीलांट सुरेश देवासी
निवासी गांव लोलावा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश

दिनांक : 12.12.2022

अपीलार्थी सुरेश देवासी निवासी गांव लोलावा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 24.11.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रति दिनांक 24.11.2022 संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिणधरी को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित समयावधि में अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है और न ही इस संबंध में कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई है।

हमने प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई है। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का नियमानुसार निस्तारण किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:40:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर